भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं.62 (आर ई 2012)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक: 5 जून, 2012

विषयः इलैक्ट्रानिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (ई-बीआरसी) व्यवस्था आरंभ करना ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) प्रस्तुत करने की इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया आरंभ करते हैं:

2. वर्तमान में, विदेश व्यापार नीति की विविध स्कीमों के तहत लाभों का दावा करने के लिए, निर्यातकों को प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र) के परिशिष्ट 22क (वास्तविक निर्यात) और 22ख (मान्य निर्यात) के मौजूदा प्रपत्रों में बैंकों से बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) प्राप्त करना होता है और उसे व्यक्तिगत रूप से विदेश व्यापार महानिदेशालय को जमा करना होता है। इलैक्ट्रानिक बीआरसी व्यवस्था के आरंभ होने के बाद बैंक व्यक्तिगत रूप से प्राप्त और जमा बीआरसी को प्रतिस्थापित करते हुए डीजीएफटी सर्वर को इलैक्ट्रानिक रूप से बीआरसी जारी और हस्तांतरित करेगा। संशोधित प्रक्रिया, तकनीकी दिशानिर्देशों सहित डीजीएफटी की वेबसाइट dgft.gov.in पर 'ई-बीआरसी' आइकन के तहत उपलब्ध है।

3. तथापि, सरल अन्तरण सुनिश्चित करने के लिए इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि तक वास्तविक बीआरसी की मौजूदा व्यवस्था के साथ-साथ ई-बीआरसी की नई व्यवस्था जारी रहेगी। इसके बाद, डीजीएफटी को इलैक्ट्रानिक रूप से 'ई-बीआरसी' जारी करना और हस्तांतरण करना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से एक माह के बाद बीआरसी की वास्तविक प्रति जमा करना अनिवार्य नहीं होगा । 'ई-बीआरसी' से सौदा लागत और समय की बचत होगी ।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा.सं.01/02/110/एएम12/ईडीआई से जारी)